

PORTAL

सरकारक
(कायदा-129)

2015/00069

जनरल रूहत सिविल रूहत 129 अपेन्डेचस फार्म नं. 8 के
न्यायालय उपजज्ज अधिकारी, मांडलगढ़ जिला-भीलवाड़ा (राज.)

10/20/2018
21-4-2015
24/8
92-12
3-2-2015
2-5-16
70 8/10
" 24.10.16
" 10.1.17
" 20.7.17
" 10.5.17

क्रिम मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फेशला 4	फेशला नम्बर 5
प्री. पता श्री. अशिता	11/2015	13-2-2015	27/6/2018	9/10/17 23/11/18 17/4/18

कै. ए. ए. ए. ए. ए.

अनवान

श्री. ~~वाञ्छु~~ श्री. ~~हरीशचन्द्र~~ श्री. ~~हरीशचन्द्र~~ श्री. ~~हरीशचन्द्र~~ श्री. ~~हरीशचन्द्र~~
निवासी ~~कुगाणायाल~~ निवासी ~~कुगाणायाल~~

अधिवक्ता वादी/प्राथी/अपोलाइट/
दिहीदार

अधिवक्ता प्रति./विपक्षी/रेस्पाडेन्ट/
नदयुतान

क
क
न
श्री
प
सिगत
ग
वे
7
रूपत

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

S. D. O

M. G. H

मुकाम

दायें मुकाम

बनाम हरिश्चंद्र सिंह

21/11/2015

नं. 11 सन् 2015

	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>1/18</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई, अति बारी परीक्षा के बाद पंठासीन अधिकारी सुनात्र उपर 2/11/15 पत्रावली वास्तु 17/11/15 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़</p> <p>27/11/2015 पत्रावली च्याय आपके दायें मुकाम पर पर पेश हुई। कपील शर्मा उपस्थित। कपील शर्मा के निवेदन पर शर्मा पत्र में दिनांक 29/10/2015 की जारी स्थगन आदेश को मूलादक निस्तारण तक मघावत रखा जाता है। पत्रावली के साथ शर्मा के नंबर से फसल शर्मा पत्र मूलादक के साथ संलग्न रहे।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़</p>	<p>फर्द को डी की केसी लेन कहांगत की हवे की की</p>